भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5439

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

सुरक्षित ड्राइविंग हेतु प्रशिक्षण

5439. श्री धनुष एम. कुमारः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या देश में वाहन चालन के लिए बहुत कम संख्या में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस तरह के और संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए चिह्नित किये गए स्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों को कब तक स्थापित करने की संभावना है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार के पास ड्राइविंग केंद्रों/ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मंजूर की गई निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): सी.एम.वी. नियम 1989 ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से चालकों में सड़क विनियमन के अच्छे ड्राइविंग कौशल और नियमों का ज्ञान सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारत सरकार जिला स्तर पर चालन प्रशिक्षण और अनुसंधान (आईडीटीआर) संस्थान, क्षेत्रीय चालन प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और चालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित करती है।

(घ): मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डीटीआई/आईडीटीआर/आरडीटीसी का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। अब तक किसी भी डीटीसी को मंज़ूरी नहीं दी गई है।

(ङ): इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता निम्नलिखित हैः-

क्र. सं.	योजना	वित्तीय सहायता
1	मोटर चालन प्रशिक्षण और संस्थान (आईडीटीआर)	प्रति आईडीटीआर अधिकतम 18.50 करोड़ रू
2	क्षेत्रीय मोटर चालन प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी)	प्रति आरडीटीसी अधिकतम 5.00 करोड़ रू
3	मोटर चालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी)	प्रति डीटीसी अधिकतम 1.00 करोड़ रू के शर्ताधीन परियोजना लागत का 50%

(च): आईडीटीआर/आरडीटीसी के तहत निधियां प्रगति रिपोर्ट, पिछली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति के मूल्यांकन के लिए लगी हुई सीआईआरटी की अनुशंसा और योजना के तहत नियत किए गए लक्ष्यों के आधार पर अगली किस्त के लिए अनुशंसा के आधार पर प्रावधानों के अनुसार किश्तों में जारी की जाती हैं। निधियों के उपयोग की जांच करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की योजना के तहत पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

अनुलग्नक

'सुरक्षित ड्राइविंग हेतु प्रशिक्षण' के संबंध में श्री धनुष एम. कुमार, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. सुभाष रामराव भामरे और श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 5439 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय द्वारा स्वीकृत डीटीआई/आईडीटीआर और आरडीटीसी की स्थिति का ब्यौरा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीटीआई/आईडीटीआर स्थिति	आरडीटीसी स्थिति
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	
	दसरी	
असम	दिसपुर	
बिहार	औरंगाबाद	
छत्तीसगढ	नया रायपुर	
हरियाणा	रोहतक	
	भिवानी	
हिमाचल प्रदेश	मंडी	
	सरकाघाट	
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	
झारखंड	जमशेदपुर	
कर्नाटक	बेल्लारी	
केरल	इडप्पल	
मध्य प्रदेश	इंदौर	
	छिंदवाड़ा	
महाराष्ट्र	पुणे	वर्धा
	लातूर	नांदेड़
	नागपुर	सांगली
		नागपुर
मणिपुर	इंफाल	
नागालैंड	दीमापुर	
ओडिशा	जाजपुर	
राजस्थान	राजसमंद	
सिक्किम	पेकयोंग	
तेलंगाना	करीमनगर	
त्रिपुरा	अगरतला	
उत्तर प्रदेश	कानपुर	
उत्तराखंड	देहरादून	
पश्चिम बंगाल	जेसोर	कोलकाता
दिल्ली	सराय काले खां	
कुल	**29**	**05**

*****